

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 1981/पौष 24, 1902
No. 16] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 1981/PAUSA 2, 1902

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1981

केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 20(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक
अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पादक-शुल्क (पहला संशोधन)
नियम, 1981 है।

(2) ये 14 जनवरी, 1981 को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 9 के उपनियम (2) में “नियम 10 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अधिनियम की धारा 11-क में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[अभि. सं. 3/81-के.उ.शु. फा.सं. 209/20-सी.एक्स-6]

डी. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 20(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (1st Amendment) Rules 1981.

(2) They shall come into force on the 14th January, 1981.

2. In sub-rule (2) of rule 9 of the Central Excise Rules, 1944, for the words and figures “within the period specified in rule 10” the words, figures and letters “within the period specified in section 11A of the Act” shall be substituted.

[Notification No. 3/81-CE F. No. 209/20/80-CX. 6]

D. MEHTA, Under Secy.